

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


सु. नं. 73/16 तारीख 2 जू 13.7.16

उमवाज - राभासिंह बनाम तहसीलदार

यावा बाबत इस्तकराहक / इन्द्राज नस्थार्की
निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्रशर्मा नि.व. मेवावा
बाबत घोषणा स्वतंत्रदारी व इन्द्राज डुरुली एवं
स्थायी निषेधाज्ञा धारा 136, 188
पेश किया। दस्तवेजों का अवलोकन किया गया।
यावा दर्ज वजिस्त कर प्रतिवादीगण को जरिये
संमम सेतलब कर पत्रावली दिनांक 22.7.16
को पेश हो।

1895-97
15.7.16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

22.7.16

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 2 का पत्र
सूचना उपस्थित उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं. 1 का समान
बादलगील प्राप्त नहीं। प्रतिवादी नं. 3 का समान लागू
है नहीं मिजवापा है। इस समान में लाशिय बहाव लागू
है मिजवापें / P.O. साहब जनलुनवाडी में पधारें हैं।
आइना दिनांक 8.8.16 को पेश हो।


21.6 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 का पत्र सूचना उपस्थित
नहीं। उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है
कस्तगा तलवी प्रति. नं. 3 दिनांक 1.9.16 को पेश हो।

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वादी हरिसिंह एवं वादी वकील द्वारा मिसाल तलवी
प्राथना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई।
इन्होंने प्राथना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया
है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है
इस मुकदमा को भागे चलाना नहीं चाहते थे
इसलिए Not Press कर दावा रखाजि करने का
निवेदन किया है। वादी एवं वादी वकील द्वारा
Not Press करने से दावा रखाजि किया
जाता है। पत्रावली कैलल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर है।

हरिसिंह
Identified
(2) 9-15-20


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम